संघ शक्ति सर्वदा

लेखपाल संघ–जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी० संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग (सुजानपुरा, ओमनगर), पुराना बस स्टेशन के सामने, लखनऊ

Web : www.lekhpal.wordpress.com

E-mail : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
: +91-9456225600
पत्रचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001(उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
: +91-9515281875
पत्रचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण

दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
–9536500281

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
–9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
–9451510484

कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप
–8923920103

संगठन मंत्रीगण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
–9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन))
–9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
–9415678593

लेखापरीक्षक

भूपेन्द्र सिंह
–9198895639

पत्रांक सेवा में,

दिनांक 12/7/2017

मा0 मुख्य सचिव महोदय,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषयः– 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लेखपालों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग को रोके जाने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि लेखपाल एक प्रशासनिक कर्मचारी होने के कारण बहुद्देशीय कर्मचारी की भॉति कार्य करता है जिसके ऊपर भूलेख एवं भूमि सम्बन्धी कार्यों के साथ साथ ग्राम स्तर पर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न कार्यों का भार रहता है तथा चौबीस घंटे प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करता है। **वर्तमान समय में उ0प्र0 में कुल 10 लाख 8 हजार 977 राजस्व ग्राम हैं जिनके सापेक्ष 30837 लेखपाल पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 25 हजार से कम लेखपाल नियुक्त हैं जिनमें से 10 हजार नवनियुक्त लेखपाल प्रशिक्षणरत हैं। इस प्रकार वास्तविक रूप में 15 हजार लेखपाल 10 लाख से अधिक राजस्व ग्रामों का कार्य कर रहें हैं और इनमें से भी 7–8 हजार लेखपाल 50 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। इस प्रकार औसतन एक लेखपाल 6–7 ग्राम का कार्य कर रहा है** जिससे उसका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जनसामान्य की समस्याओं से सीधे जुड़े होने के कारण विभागीय कार्यवाहियां/ दण्ड भी अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं। महोदय के संज्ञान में यह भी तथ्य लाना है कि लेखपाल सेवा में प्रोन्नति में स्टेगनेशन की स्थिति इतनी गम्भीर है कि 95 प्रतिशत लेखपाल बिना कोई प्रोन्नति पाये ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा शेष 5 प्रतिशत लेखपालों की पहली प्रोन्नति 36–37 वर्ष की सेवा के बाद 55–59 वर्ष की आयु में हो पाती है।

महोदय, शासन द्वारा 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु 31 जुलाई 2017 तक स्क्रीनिंग कार्य पूरा करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं जबकि लेखपाल सेवा में अभ्यर्थन हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है जो आरक्षित वर्ग हेतु 45 वर्ष है। उक्त आदेश के अनुपालन में कई जनपदों में जिलाधिकारियों ने लक्ष्य निर्धारित करते हुये लेखपालों की स्क्रीनिंग की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है जिससे लेखपाल संवर्ग जो पहले से ही लेखपालों की कमी के कारण दो या दो से अधिक लेखपाल हल्कों का कार्य कर रहा है तथा छंटनी के पश्चात स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी। लेखपाल जो कि 36–37 वर्ष की सेवा के बाद 55–59 वर्ष की आयु में पहली पदोन्नति की उम्मीद लगाये बैठे है, शासन के अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश जारी होने के कारण हताश एवं निराश है और संवर्ग में रोष व्याप्त है।

महोदय, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत लेखपालों की 50 वर्ष की आयु, स्वास्थ्य और सेवा रिकार्ड के आधार पर छटनी नैसर्गिक न्याय, मानवीय दृष्टिकोण और लोककल्याण कारी राज्य की अवधारणा के विपरीत है साथ ही साथ इस कार्यवाही से शासन की जनकल्याणकारी नीतियों/ योजनाओं का क्रियान्वय भी प्रभावित होना अवश्यम्भावी है तथा प्रशिक्षित एवं अनुभवी लेखपालों की संख्या